

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 93] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 28, 1973/वैशाख 8, 1895

No. 93] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 28, 1973/VAISAKHA 8, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CUSTOMS

New Delhi, the 28th April 1973

G.S.R. 210(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 1-Customs, dated the 1st January, 1973, namely:—

In the Table below the said notification, for the entry in column 2, against serial No. 2, the following entry shall be substituted, namely:—

“Mica splittings of all grades other than those specified against serial number above”.

[No. 62/F. No. 58-TR(CUS)/73.]

B. N. SHARMA, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

सीमा शुल्क

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 1973

सा० का० नि० 210 (अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) को अधिसूचना सं० 1—सीमा-शुल्क, तारीख 1 जनवरी, 1973 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के नीचे की सारगो में, क्रम सं० 2 के सामने स्तम्भ 2 में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“उपर्युक्त क्रम संख्या 1 के सामने विनिर्दिष्ट से भिन्न सभी ग्रेड के अन्नक विपणन ”

[सं० 62। का० सं० 58—दोआर (सी० शु०)/73]

बी० एन० शर्मा, अवर सचिव ।